

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: कार्य विभाजन आदेश ::

क्रमांक: 16/एक-2-2/85

दिनांक 14.05.2026

मैं, **विजय चन्द्र**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 214, 422 तथा 441 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य विभाजन एवं संशोधित कार्य वितरण आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, **वर्ष 2026** हेतु सिविल जिला दतिया में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण / न्यायालयों के मध्य सिविल कार्यों एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशगण के मध्य दाण्डिक कार्यों का विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करता हूँ :-

यह आदेश **दिनांक 18.05.2026** से प्रभावशील होकर आगामी कार्य विभाजन आदेश पारित होने तक प्रभावशील रहेगा तथा यह आदेश पूर्व से लंबित कार्यवाहियों व प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

खण्ड - अ

“सिविल न्यायालय कार्य विभाजन”

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
1.	प्रधान जिला न्यायाधीश, दतिया	1. तहसील दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 10,00,00,001/- (दस करोड़ एक रुपये) से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें। 3. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पत्र। 4. इसी न्यायालय के निर्णय/आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 5. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत गठित ग्राम न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकरण में पारित निर्णय एवं आदेश जो अंतर्वर्ती नहीं हैं, के विरुद्ध अपीलें। 6. सिविल जिला दतिया की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत अद्योसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदों विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 20(बी) के अंतर्गत दावे/विविध सिविल प्रकरण अथवा अन्य कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरण। 7. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां। 8. अन्य अधिनियम/नियम के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रकरण एवं आवेदन पत्र, जो इस आदेश में उल्लेखित नहीं हो तथा पूर्णतः इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार योग्य हो।

2.	प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया के न्या. के प्रथम अति. न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश), एट्रोसिटीज, दतिया	1. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा आदेश क्रमांक 1484 दिनांक 06.11.2025 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा अधिसूचना क्रमांक ए/5095/तीन-6-3/89 जबलपुर दिनांक 22.11.2025 के द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये सिविल कार्य आवंटित नहीं किया गया है। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
3.	प्रथम जिला न्यायाधीश, दतिया	1. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए/5204 जबलपुर दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रकरणों के विचारण हेतु तथा म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 24.10.2009 के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये सिविल कार्य आवंटित नहीं किया गया है। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
4.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, दतिया	1. तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 5,00,00,001/- (पांच करोड़ एक रुपये) से 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-9 के अन्तर्गत प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दावे। 3. हिन्दू अवयस्क एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों से संबंधित प्रकरण/आवेदन। 4. रुपये 501/- (रुपये पांच सौ एक रुपये) से 1,000/- (रुपये एक हजार) तक मूल्य के तहसील दतिया तथा तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 5. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 6. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
5.	तृतीय जिला न्यायाधीश, दतिया	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा इकैती अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 1. तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 3,00,00,001/- (तीन करोड़ एक रुपये) से 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत दावे।

		3. आर्बिट्रेशन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दावे। 4. इसी न्यायालय, प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया एवं प्रथम जिला न्या. दतिया के न्यायालय के प्रथम अति न्यायाधीश (विशेष न्या. एट्रोसिटीज) दतिया तथा पूर्व में पदाभिहित/अधिसूचित/नामांकित होकर कार्यरत रहे फास्ट ट्रेक न्यायाधीशगण के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 5. प्रथम एवं तत्कालीन द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भाण्डेर एवं पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भाण्डेर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
6.	प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया के न्या. के द्वितीय अति. न्या. दतिया	पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की संख्या 100 से कम होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सिविल कार्य आवंटित किया गया है। 1. तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रुपये) से 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 सहित पारिवारिक विवादों से संबंधित दावे। 3. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया एवं पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वर्ग-2/कनिष्ठ खण्ड) दतिया के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश (समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश (नियमित न्यायाधीश) दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण। नोट : तहसील क्षेत्र भाण्डेर से उत्पन्न कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा-7 से संबंधित तथा अन्य संबंधित प्रकरण जिनका उल्लेख वर्ष 2026 के लिये प्रभावशील कार्यविभाजन पत्रक में नहीं है।
7.	प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया के न्या. के तृतीय अति. न्या. दतिया	1. तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 7,00,00,001/- (सात करोड़ एक रुपये) से 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 3. पागलपन अधिनियम के अन्तर्गत दावे।

		4. मेण्टल हेल्थ अधिनियम 1907 के अन्तर्गत प्रकरण। 5. मध्यप्रदेश लोकल फण्ड अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र। 6. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया, तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया तथा पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 दतिया के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश एवं प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर एवं पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भाण्डेर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
8.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दतिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतर्गत प्रकरण।
9.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 50,00,001/- (पचास लाख एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 2. तहसील दतिया क्षेत्र से संबंधित नगर पालिका से उत्पन्न मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत धारा 139 तथा धारा 172 के अन्तर्गत अपीलें। 3. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण। 4. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 5. तहसील दतिया से संबंधित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसी समस्त कार्यवाहियां जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं किया गया हो तथा पूर्णतः इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के योग्य हों। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतर्गत प्रकरण।
10.	ग्राम न्यायाधिकारी, जनपद दतिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तहसील दतिया क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत पूर्व से लंबित एवं उत्पन्न होने वाले सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण।
11.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के प्रथम अति. न्या. दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।

		2. जिला दतिया में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पूर्व से लंबित एवं उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 3. इसी न्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया तथा तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया एवं पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 दतिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया के न्यायालयों द्वारा द्वारा पारित निर्णय/ डिक्री/ आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
12.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1,00,001/- (एक लाख एक रुपये) से 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 251/- (रुपये दौ सौ इक्यावन) से 500/- (रुपये पांच सौ) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय तथा <u>तत्कालीन द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया</u> के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
13.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 3,00,001/- (तीन लाख एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 2. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड / वर्ग-2 के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
14.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 01/- (एक रुपये) से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 01/- (रुपये एक) से 250/- (रुपये दो सौ पचास) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश (नियमित न्यायाधीश) दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

15.	प्रथम जिला न्यायाधीश, सेंवड़ा	1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 10,00,00,001/- (दस करोड़ एक रुपये) से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं निष्पादन तथा विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 सहित पारिवारिक विवादों से संबंधित दावे। 3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दावे तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण / आवेदन। 4. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न आर्बिट्रेशन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दावे एवं निष्पादन प्रकरण। 5. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि.1925 के भाग-9 के अन्तर्गत प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दावे। 6. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 751/- (रुपये सात सौ इक्यावन) से 1000/- (रुपये एक हजार) तक मूल्य के उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवड़ा तथा पूर्व में कार्यरत रहे सिविल जज वर्ग-1 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सेंवड़ा के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 8. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन तथा विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन तथा निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
16.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सेंवड़ा	1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रुपये) से रुपये 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन तथा विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न संरक्षण एवं प्रीपाल्य अधि. के अन्तर्गत दावे। 3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मेण्टल हेल्थ अधि.1987 के अन्तर्गत प्रकरण। 4. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 5. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न पागलपन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 6. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न म.प्र. लोकल फण्ड अधि. की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र। 7. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 8. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 501/- (रुपये पांच सौ एक) से 750/- (रुपये सात सौ पचास) तक मूल्य के उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 9. इसी न्यायालय तथा पूर्व में कार्यरत प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश सेंवड़ा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन तथा विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन तथा निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 10. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा एवं पूर्व में पदस्थ प्रथम सिविल जज वर्ग-2 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 11. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

17.	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा एवं इंदरगढ़ क्षेत्र से संबंधित नगर पालिका से उत्पन्न मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत धारा 139 तथा धारा 172 के अन्तर्गत अपीलें। 3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण। 4. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सेंवड़ा के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 5. तहसील सेंवड़ा से संबंधित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसी समस्त कार्यवाहियां जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं किया गया हो तथा पूर्णतः इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के योग्य हों। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
18.	ग्राम न्यायाधिकारी, सेंवड़ा	प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत तहसील सेंवड़ा क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत पूर्व से लंबित एवं उत्पन्न होने वाले सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण।
19.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 01/- (एक रुपये) से 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 01/- (रुपये एक) से 250/- (रुपये दो सौ पचास) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन/विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सेंवड़ा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
20.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 3,00,001/- (तीन लाख एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 251/- (रुपये दो सौ इक्यावन) से 500/- (रुपये पांच सौ पचास) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन/विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश सेंवड़ा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

21.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भाण्डेर	1. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 2. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से संबंधित नगर पालिका से उत्पन्न मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत धारा 139 तथा धारा 172 के अन्तर्गत अपीलें। 3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत् रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भाण्डेर द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. तहसील भाण्डेर से संबंधित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसी समस्त कार्यवाहियां जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं किया गया हो तथा पूर्णतः इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के योग्य हों। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
22.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भाण्डेर	1. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 50,00,001/- (पचास लाख एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 2. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण। 3. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
23.	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भाण्डेर	1. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1/- (एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1/- (रुपये एक) से 500/- (रुपये पांच सौ) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन/विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भाण्डेर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

स्थान : दतिया।


 (विजय चन्द्र)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 दतिया (म.प्र.)

खण्ड - ब

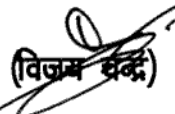
“मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण”

1.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	1. तहसील दतिया एवं तहसील भाण्डेर क्षेत्र के समस्त आरक्षी केन्द्र एवं अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों से उत्पन्न धारा 166, 163 (ए) मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत मोटरयान दुर्घटना का परिणाम मृत्यु होने से उद्भूत समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप से प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन।
2.	प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रथम अतिरिक्त सदस्य दतिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
3.	प्रथम अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
4.	द्वितीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र सिनावल, उनाव तथा तहसील भाण्डेर के आरक्षी केन्द्र गोदन एवं अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों से उत्पन्न धारा 166, 163 (ए) मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत मोटरयान दुर्घटना का परिणाम मृत्यु होने के अतिरिक्त, शेष समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण द्वारा तत्समय पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. तहसील दतिया क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र सिनावल, उनाव एवं गोदन से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप से प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
5.	तृतीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र कोतवली तथा दुरसड़ा एवं भाण्डेर क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र पण्डोखर एवं सरसई से उद्भूत धारा 166, 163 (ए) मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत मोटरयान दुर्घटना का परिणाम मृत्यु होने के अतिरिक्त, शेष समस्त प्रकरण।

		2. इसी अधिकरण, प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण तथा वर्तमान में रिक्त तथा पूर्व में पदाभिहित/अधिसूचित/नामांकित होकर कार्यरत रहे समस्त फास्ट ट्रेक न्यायाधीशगण एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया द्वारा तत्समय पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. तहसील दतिया क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र कोतवली तथा दुरसड़ा एवं भाण्डेर क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र पण्डोखर एवं सरसई से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप से प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
6.	प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के द्वितीय अतिरिक्त सदस्य, दतिया	<u>पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की संख्या 100 से कम होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सिविल कार्य आवंटित किया गया है।</u> 1. तहसील दतिया क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र गोराघाट, जिगना एवं बड़ोनी से उद्भूत धारा 166, 163(ए) मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत मोटरयान दुर्घटना का परिणाम मृत्यु होने के अतिरिक्त, शेष समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया द्वारा तत्समय पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. तहसील दतिया क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र गोराघाट, जिगना एवं बड़ोनी से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप से प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
7.	प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के तृतीय अतिरिक्त सदस्य, दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, चिरुला एवं बसई तथा तहसील भाण्डेर क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र भाण्डेर से उद्भूत धारा 166, 163(ए) मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत मोटरयान दुर्घटना का परिणाम मृत्यु होने के अतिरिक्त, शेष समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।

		3. तहसील दतिया क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, चिरुला एवं बसई तथा तहसील भाण्डेर क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र भाण्डेर से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप से प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
8.	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सेंवड़ा	1. तहसील सेंवड़ा के इन्दरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र इन्दरगढ़, लांच, थरेट एवं धीरपुरा से उत्पन्न धारा 166, 163(ए) मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण एवं पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. तहसील सेंवड़ा के इन्दरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र इन्दरगढ़, लांच, थरेट एवं धीरपुरा से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में संबंधित थानों से निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
9.	द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सेंवड़ा	1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र सेंवड़ा, अतरेंटा, भगुआपुरा एवं डिरोलीपार से उत्पन्न धारा 166, 163(ए) मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र सेंवड़ा, अतरेंटा, भगुआपुरा एवं डिरोलीपार से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों में संबंधित थानों से निर्धारित समयावधि में ई-मेल अथवा भौतिक रूप से प्राप्त प्रथम, विस्तृत तथा अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR, DAR & IAR) तथा उससे उद्भूत विविध आवेदन। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।

स्थान : दतिया।


 (विजय चन्द्र)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 दतिया (म.प्र.)

“सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन”

1. सत्र न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायालय 1. सती (निषेध) अधिनियम 1987 2. मानव अधिकार (संरक्षण) अधिनियम-1993	1. सत्र खण्ड दतिया से उत्पन्न सत्र प्रकरण, सत्र न्यायालयों में सुनवाई योग्य दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र। अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण 2. तहसील दतिया से उद्भूत ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत गठित ग्राम न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरणों में दिए गए आदेश एवं निर्णयों के विरुद्ध अपील धारा 33 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से तथा धारा 34 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक अपील। 3. सत्र न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत विचारण योग्य ऐसे अन्य प्रकरण जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं किया गया है। 4. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।
2. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सह प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	1. अधिसूचित विशेष न्यायालय/सम्पूर्ण सिविल जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण। 2. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए/5095/तीन-6-3/89 जबलपुर दिनांक 22.11.2025 के माध्यम से समस्त सिविल जिला दतिया के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत सत्र न्यायालयों के विचारण योग्य सभी प्रकार के प्रकरणों हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया गया है। 3. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 4. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
3. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया सह विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण एवं विद्युत अधिनियम)	1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत पूर्व से लंबित एवं सम्पूर्ण सिविल जिला दतिया से उद्भूत प्रकरण। 2. सिविल जिला दतिया के समस्त विद्युत क्षेत्र से (अनुक्रमांक 28-सेवड़ा के विद्युत क्षेत्र के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) उद्भूत तथा पूर्व से लंबित समस्त विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित प्रकरण। 3. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 से संबंधित सम्पूर्ण सिविल जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। 4. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/ नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 5. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतर्गत प्रकरण।

4.	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया	1. जिला मुख्यालय दतिया एवं तहसील भाण्डेर के अंतर्गत उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 2. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/ अधिसूचित/ नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 3. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
5.	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायाधीश (डकैती अधिनियम)	1. मध्यप्रदेश डकैती और व्यवहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत सम्पूर्ण सिविल जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत एवं पूर्व से लंबित समस्त प्रकृति के प्रकरण। 2. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/ अधिसूचित/ नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 3. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
6.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)	1. जिला मुख्यालय दतिया एवं तहसील भाण्डेर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत पॉक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. जिला मुख्यालय दतिया एवं तहसील भाण्डेर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध जैसे कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सह बलात्कार एवं संबंधित अन्य समस्त प्रकरण। 3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 101 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड दतिया से उत्पन्न दांडिक अपील प्रकरण। 4. जिला मुख्यालय दतिया एवं तहसील भाण्डेर की सीमाओं के अंतर्गत संचालित आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दोनों के अंतर्गत सम्मिलित रूप से पंजीबद्ध होकर उद्भूत हुये प्रकरण। 5. इसी न्यायालय एवं तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 6. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
7.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित प्रकरण। 2. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।

		3. वर्तमान में रिक्त तथा पूर्व में फास्ट ट्रेक न्यायाधीश के पद पर पदाभिहित/ अधिसूचित/ नामांकित होकर कार्यरत रहे समस्त न्यायाधीशगण के न्यायालयों के द्वारा निराकृत प्रकरणों की प्रवर्तन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं उक्त न्यायालय के निर्णयों की अपीलें, रिविजन (माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय) के आदेशों का प्रवर्तन कार्य भी इस न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार संपादित किया जावेगा। 4. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
8.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा सह विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)	1. तहसील सेंवड़ा के विद्युत क्षेत्र से उद्भूत होने वाले तथा पूर्व से लंबित विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत उद्भूत सभी प्रकार के प्रकरण। 3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 4. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उद्भूत ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से उत्पन्न धारा 33 के अन्तर्गत उत्पन्न दांडिक अपीलें तथा धारा 34 के अन्तर्गत उत्पन्न सिविल अपील प्रकरण। 5. इस न्यायालय एवं पूर्व में कर्तव्यस्थ रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सेंवड़ा द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण। 6. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र से उत्पन्न सत्र न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत विचारण योग्य ऐसे समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र जिनका उल्लेख वर्ष 2026 के लिये प्रभावशील कार्यविभाजन पत्रक में नहीं है। 7. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। नोट: सेंवड़ा से दतिया की दूरी लगभग 65 कि.मी. है, अतः पक्षकारों तथा अभिभाषकों की सुविधा की दृष्टि से - 1. सेंवड़ा तहसील क्षेत्र के आरक्षी केन्द्रों से सेंवड़ा, अतरेंटा, भगुआपुरा, डिरोलीपार एवं आबकारी वृत्त सेंवड़ा से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य समस्त नवीन जमानत आवेदन-पत्र, आदेश दिनांक से इस न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।
9.	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण। 2. तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत तथा पूर्व से लंबित पॉक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सह बलात्कार एवं संबंधित अन्य समस्त प्रकरण।

4. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।

5. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।

नोट: सेंवड़ा से दतिया की दूरी लगभग 65 कि.मी. है, अतः पक्षकारों तथा अभिभाषकों की सुविधा की दृष्टि से -

1. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र इंदरगढ़, लॉच, थरेट, एवं धीरपुरा से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य समस्त नवीन जमानत आवेदन-पत्र, आदेश दिनांक से इस न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।

1. एक ही अपराध क्रमांक/प्रकरण (उपार्पण के पूर्व) में उसी अभियुक्त अथवा अन्य सह अभियुक्त का पश्चात्पूर्ति जमानत आवेदन पत्र, पूर्ववर्ती आवेदन पत्र का निराकरण करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
2. किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानान्तरण होने की दशा में उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले पीठासीन अधिकारी के संबंध में भी यह कार्य वितरण पत्रक यथावत लागू होगा।
3. सेंवड़ा तहसील क्षेत्र के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य किसी अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438 अथवा 439 द.प्र.स. का एक ही अपराध क्रमांक/प्रकरण (उपार्पण के पूर्व) में जिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया हो पश्चात्पूर्ति क्रम में उस अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र उन्हीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया/सेंवड़ा के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।
4. सेंवड़ा में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उपार्पण प्रकरण पंजीकरण के लिए सत्र न्यायालय दतिया भेजे जावेंगे परन्तु प्रकरणों के अभियुक्तों को, न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तारीख पेशी दी जावेगी तथा ऐसे प्रकरणों का मुद्देमाल भी मालखाना सेंवड़ा में रहते हुए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत होगा।

स्थान : दतिया।

(विजय चन्द्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 214, 422 तथा 441 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं **विजय चन्द्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया** इस आदेश के द्वारा सिविल जिला दतिया तथा सत्र खण्ड दतिया के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सिविल तथा सत्र न्यायालयों के मध्य दीर्घ अवकाश के दौरान अत्यावश्यक सिविल मामलों के निपटारे के लिए अथवा अत्यावश्यक सत्र कार्य के निपटारे के लिए निम्नानुसार आदेश जारी करता हूं जो **दिनांक 18.05.2026** से प्रभावशील होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश तथा जिले में पदस्थ समस्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने की अवस्था में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक सिविल तथा दाण्डिक कार्य निम्नांकित तालिका के लिए गए कम के अनुसार प्रभारी न्यायाधीश द्वारा सम्पन्न किया जावेगा जो नीचे अंकित शर्तों के अधीन होगा।

कं.	न्यायाधीश का पदनाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
2.	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
3.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
4.	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अति. न्यायाधीश, दतिया
5.	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अति. न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तृतीय अति. न्यायाधीश, दतिया
6.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अति. न्यायाधीश, दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तृतीय अति. न्यायाधीश, दतिया	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया
7.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तृतीय अति. न्यायाधीश, दतिया	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दतिया	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
8.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अति. न्यायाधीश, दतिया
9.	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तृतीय अति. न्यायाधीश, दतिया
10.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
11.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
12.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया

13.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा
14.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भाण्डेर
15.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भाण्डेर
16.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
17.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
18.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
19.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवड़ा
20.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवड़ा
21.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भाण्डेर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भाण्डेर

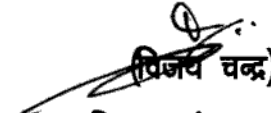
नोट:

- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक अधिकारियों को जिस विशेष अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, म.प्र. विधुत अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट, पॉक्सो अधिनियम, महिलाओं से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आदि के अंतर्गत) से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु पदाभिहीत किया गया है, उक्त विशेष अधिनियमों से संबंधित समस्त प्रकृति के अग्रिम / नियमित जमानत आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय में ही प्रस्तुत होंगे एवं पंजीयन के उपरांत उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किये जावेंगे।
- मुख्यालय दतिया पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड न्यायालय के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया** द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- मुख्यालय दतिया पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड न्यायालय के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया** द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- मुख्यालय सेंवड़ा पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड न्यायालय के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) के द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा** द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

5. मुख्यालय भाण्डेर पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड न्यायालय के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर** द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

यह आदेश दिनांक 18.05.2026 से प्रभावशील होगा।

स्थान : दतिया।


(प्रिजय चन्द्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: जमानत आवेदन पत्रों के निराकरण से संबंधित अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 214, 422 तथा 441 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं **विजय चन्द्र, सत्र न्यायाधीश, दतिया** इस आदेश के द्वारा सत्र खण्ड दतिया/सेवढा के क्षेत्र में **सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने, मुख्यालय से बाहर होने अथवा ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी कारणवश कर्तव्य पर उपस्थित न हो पाने की दशा में** - कार्यरत विभिन्न सत्र न्यायालयों के मध्य **जमानत आवेदन पत्रों के कार्य के निपटारे के लिए** निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ जो **दिनांक 18.05.2026** से मात्र जमानत आवेदन पत्रों के संबंध में उपवर्णित दशा में प्रभावशील होगा -

1. किसी अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 अथवा 439 द.प्र.सं. किन्हीं विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया हो तो ऐसी दशा में पश्चात्पूर्ति कम में उस अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन उन्हीं विशेष न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
नोट : इस अवस्था पर स्पष्ट किया जाता है कि किसी जानकारी के अभाव में अथवा लिपिकीय त्रुटिवश उक्त निर्देश का पालन न हो पाने की उत्पन्न दशा में संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ऐसे आवेदन पत्र, सत्र न्यायालय को वापिस करेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र पूर्ववर्ती आवेदन को निराकृत करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।
2. यदि पूर्ववर्ती आवेदन विभिन्न अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध क्रमांक विशेष में, सह अभियुक्त के जमानत आवेदन, पूर्व में निराकृत किए गए हों तो ऐसी दशा में अन्य सह अभियुक्त का जमानत आवेदन, उन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जावेगा, जिन्होंने कि सबसे अंत का (नवीनतम) जमानत आवेदन संबंधित अपराध क्रमांक के सह अभियुक्त का निराकृत किया हो अथवा किसी पदस्थापना पर उनकी पदस्थापना अन्य विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में होने पर भी उनके द्वारा ही जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा।
3. केस डायरी / अभिलेख प्राप्ति पर ही संबंधित जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
4. उक्त के अलावा परिवाद पर संस्थित प्रकरणों से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अवकाश पर गए विशेष न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को छोड़कर उनके पंजीयन के कम में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया से लगायत अंतिम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय को क्रमानुसार एक-एक जमानत आवेदन स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।
5. कण्डिका क्रमांक 01 अनुसार भेजे गये प्रतिभूति आवेदन पत्रों के बाद शेष बचे हुए प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र निम्नानुसार आरक्षी केन्द्र के समक्ष अंकित विशेष न्यायाधीश / अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विधिवत् निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे। यदि भेजे जाने वाले संबंधित विशेष न्यायाधीश / अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अवकाश पर हैं तो उनके प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश एवं यदि प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश भी अवकाश पर हैं तो द्वितीय एवं यदि द्वितीय प्रभार वाले न्यायाधीश अवकाश पर हैं तो तृतीय प्रभार वाले न्यायाधीश के न्यायालय में निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे एवं यदि तृतीय प्रभार वाले न्यायाधीश भी अवकाश पर हों तो तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पद कम के उत्तरवर्ती क्रमांक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया को निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे तथा यह प्रभार क्रमानुसार क्रमागत होकर पुनः प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया से प्रभावी रहेगा।

क्र.	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	कोतवाली दतिया, सिविल लाईन, जिगना, चिरुला	विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
2	दुरसड़ा, भाण्डेर, बसई	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के द्वितीय अति. न्यायाधीश दतिया
3	सिनावल, उनाव, गोदन	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के द्वितीय अति. न्यायाधीश दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश
4	गोराघाट, आबकारी वृत्त दतिया एवं भाण्डेर	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के द्वितीय अति. न्यायाधीश दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश	विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी. दतिया
5	महिला थाना दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के द्वितीय अति. न्यायाधीश दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश	विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
6	बड़ौनी, सरसई, पण्डोखर	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के तृतीय अति. न्यायाधीश	विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया

नोट : उपरोक्त तालिका में वर्णित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश का इस स्थापना से अन्य स्थापना पर स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश दतिया द्वारा जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा।

6. पूर्व में प्रतिभूति आवेदन पत्र निराकृत करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश इस स्थापना से स्थानांतरित होकर गए हों तो उनके स्थान पर आने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा एवं यदि उक्त न्यायालय रिक्त है तो ऐसी स्थिति में कण्डिका क्रमांक 5 के अनुसार प्रतिभूति आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा।
7. सत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र जो कि माननीय उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित हों वे स्वतः संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित होना माने जावेंगे। यदि उक्त न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अवकाश पर रहते हैं तो उस स्थिति में आवेदन पत्र न्यायाधीश के चार्ज में रहने वाले वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा सुने जावेंगे।
8. यदि कोई जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और वह आवेदन पत्र अपर सत्र न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में निराकृत हेतु भेज दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वह अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश उक्त जमानत आवेदन पत्र को संबंधित विशेष न्यायालय में भेजे जाने हेतु सत्र न्यायालय को वापस भेजेंगे एवं संबंधित विशेष न्यायालय को उक्त जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

9. जमानत आवेदन पत्र अंतरित होने के पश्चात् यदि जमानत आवेदन पर भेजे गए संबंधित न्यायालय से इस टीप के साथ आवेदन पत्र वापस प्राप्त होता है कि संबंधित प्रकरण अन्य अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दतिया के न्यायालय में लंबित है तो उक्त जमानत आवेदन पत्र जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण लंबित है उस न्यायालय में स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।
10. उक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति वाले जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) दतिया द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रभार वाले न्यायाधीश को विधिवत् निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।
11. उक्त कार्य व्यवस्था में आकस्मिक रूप से उत्पन्न परिस्थितियों में पृथक से विधि अनुसार आदेश पारित किया जावेगा।

~~(विजय चन्द्र)~~

स्थान : दतिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दतिया (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया (म.प्र.)

पृष्ठंकन क्रमांक : 1447 /एक-2-2/85

दिनांक 12.05.2026
14

प्रतिलिपि :

1. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, दतिया
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया
3. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया
4. प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा
5. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दतिया
6. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सह ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय दतिया
7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सह प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड, दतिया
8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सह ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सेंवड़ा
9. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भाण्डेर, दतिया
10. प्रथम/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
11. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा, जिला दतिया
12. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भाण्डेर जिला दतिया
13. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
उपरोक्त सभी की ओर **कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026 की प्रति** वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
14. प्रशासनिक / उप-प्रशासनिक अधिकारी /लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया की ओर सूचनार्थ एवं यथासमय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ दतिया/सेंवड़ा/भाण्डेर की ओर **कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026 की प्रति** वास्ते सूचनार्थ एवं समस्त अधिवक्तागण को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)